न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 38/2026

मुबारिक खान जरिये मोहम्मद शाहबाज हुसैन एडवोकेट निवासी राज टाकीज के पास टोंक राज. --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 13.05.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 104 दिनाक 05.02.2026 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. मेरे नामांतरण तस्दीक आवेदन दिनांक 22.09.2020 (खसरा नं. 4827, कस्बा टोंक) की वर्तमान स्थिति क्या है?
2. उक्त आवेदन किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के पास किस-किस अवधि में लंबित रहा है?
3. अब तक निर्णय न होने के कारणों का स्पष्ट विवरण।
4. नामांतरण तस्दीक हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?
5. यदि फाइल लंबित है तो उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 645 दिनांक 27.03.2026, 726 दिनांक 15.04.2026 व 915 दिनांक 29.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

843